मुन्तकिली प्रकरण सं0 92/2017 अनवानी 1—शिवनारायण उर्फ पप्पू पुत्र श्री सुलतान राम 2—औमप्रकाश पुत्र सुलतान राम जाति जाट निवासीगण वार्ड न0 6 सादुलशहर बनाम 1—हनुमानसिंह 2—गोपी 3—मनीराम 4—रमस्वरूप 5—मोहनलाल 6—सोहन पि0 जगराम जाति कुम्हार निवासीगण आलमगढ तह0 फाजिल्का (पंजाब) हाल निवासीगण वार्ड न0 3 तहसील सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.11.2017

प्रार्थीगण शिवनारायण उर्फ पप्पू एवं औमप्रकाश व उनके अभिभाषक श्री विशाल मक्कड को बार बार अवाज लगाने पर भी उपस्थित नही आये। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 8/2009 अनवानी हनुमान बनाम सुल्तान में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर श्री भंवरलाल कासोटिया का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर